# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवली, जिला टोंक राज0

(पीठासीन अधिकारी श्री अशोक कुमार त्यागी R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 02/2017

निर्णय दिनांक :– 02.07.19

उनवानी दावाः–

रामकरण दास पुत्र श्री रामचन्द्र दास जाति बैरागी उम्र 70 वर्ष निवासी हाल नाकाहाली (रूपारेल) तहसील देवली जिला टोंक (राज0)।

–वादी–

**बहक**

1. रामनारायण पुत्र जगन्नाथ दास जाति बैरागी उम्र बालिग निवासी बीसलपुर रोड़, दौलता मोड़ तहसील देवली जिला टोंक (राज0)
2. शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक शाखा कोटा रोड़ देवली जिला टोंक (राज0)
3. तहसीलदार देवली जिला टोंक राजस्थान।

–प्रतिवादीगण–

**श्री बाबू लाल मीणा**
**अधिवक्ता वादी**

**रामनारायण**
**प्रतिवादी संख्या**
**1**

## वाद विभाजन आराजियात

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। निर्णय इस प्रकार है कि प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा एक पक्षीय प्राथमिक निर्णय व डिक्री आदेश दिनांक 20.06.17 को राजस्व लोक अदालत कैम्प में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली में पारित किया गया था। पारित आदेश की पालना में कुर्रेजात रिपोर्ट तहसीलदार देवली से प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है। कुरेजात रिपोर्ट को अधिवक्ता वादी से अवलोकन करवाया गया। अधिवक्ता वादी की प्रार्थना रही कि कुर्रेजात रिपोर्ट सही है और मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट प्रकरण में अंतिम निर्णय डिक्री पारित कर दी जावें।

अधिवक्ता वादी की बहस में कुर्रेजात रिपार्ट पर सहमति को मध्यनजर रखते हुये कुर्रेजात रिपोर्ट व पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार दूनी द्वारा विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 18 से 21 के प्रावधानानुसार तैयार किया गया है। अतः प्रकरण में अंतिम निर्णय डिक्री आदेश एतद् द्वारा पारित किया जाता है कि जमाबंदी सम्वत् 2073–76 पटवार हल्का गांवड़ी भू.अभि.नि. क्षैत्र देवली के खाता संख्या 199 में दर्ज ख. नं. 540 रकबा 3.29 है0 स्थित आराजी में खसरा संख्या दर्ज राजस्व रिकार्ड है कि आराजी बाबत् राजीनामा दावा अंतिम निर्णय डिक्री पारित किया जाकर दावा विभाजन आराजियात होने से तहसीलदार देवली की कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार दर्ज राजस्व रिकार्ड किये जाने की आज्ञा पारित की जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। कुर्रेजात रिपोर्ट डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा।

**निर्णय खुले न्यायालय में दिनांक 02.07.19 को सुनाया गया।**

उपखण्ड अधिकारी
देवली